भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2354
जिसका उत्तर गुरुवार, 12 मार्च, 2026 को दिया जाना है

**न्यायालय की अवसंरचना का आधुनिकीकरण**

**2354 श्री मिलिंद मुरली देवरा :**
**डा. के. लक्ष्मण :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का न्याय प्रदायगी प्रणाली को अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी बनाने में परिवर्तनकारी प्रभाव क्या रहा है, जिसमें केस रिकॉर्ड का व्यापक डिजिटलीकरण, वर्चुअल सुनवाई और ऑनलाइन सेवाएं शामिल हैं ;

(ख) तेलंगाना में न्यायपालिका के सभी स्तरों सहित देश भर की अदालतों में इस डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किस प्रकार हुआ है और इससे वादियों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को मिलने वाले ठोस लाभ क्या-क्या है ;

(ग) राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईए) के अंतर्गत आधुनिक, नागरिक-अनुकूल और समावेशी न्यायालय परिसरों के निर्माण की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) ये तकनीकी और अवसंरचनात्मक अन्तःक्षेप किस प्रकार लंबित मामलों को कम करने और जनता का विश्वास बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य में योगदान दे रहे हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को न्यायिक प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है । इस परियोजना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल न्यायालय, ई-फाइलिंग, ई-भुगतान, न्यायालय अभिलेखों का डिजिटलीकरण, उन्नत केस प्रबंधन प्रणाली और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से निगरानी जैसे विभिन्न उपाय आरंभ किए हैं ।

इन उपायों ने सार्वजनिक पहुंच को सक्षम करके, डिजिटल कार्य प्रवाह के माध्यम से मामले के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करके और ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रक्रियात्मक विलंब को कम करके न्याय वितरण प्रणाली को अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी बनाने में योगदान दिया है । 31.01.2026 तक ई-न्यायालय परियोजना के अधीन कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

(i) तेजी से पुनर्प्राप्ति, सुरक्षित भंडारण और निर्बाध डिजिटल कार्यप्रवाह सुनिश्चित करने के लिए विरासत अभिलेखों सहित न्यायालय के अभिलेखों के 660.36 करोड़ से अधिक पृष्ठों को न्यायालयों में डिजिटाइज किया गया है ।

(ii) ट्रैफिक चालानों के ऑनलाइन न्यायनिर्णयन को सक्षम करने के लिए 30 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं । वर्चुअल न्यायालयों को 10.13 करोड़ चालान प्राप्त हुए हैं और 1002.73 करोड़ रुपये के चालान का भुगतान किया गया है ।

(iii) 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधाओं का विस्तार किया गया है । न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.97 करोड़ से अधिक सुनवाईयां की हैं, जिससे विचाराधीन कैदियों, गवाहों और वकीलों की दूरस्थ सुनवाई में सुविधा हुई है ।

(iv) 11 उच्च न्यायालयों में न्यायालय कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग चालू है ।

(v) मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग और न्यायालय फीस तथा जुर्माने के डिजिटल भुगतान की अनुमति देने के लिए ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणालियों को लागू किया गया है । ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 1.07 करोड़ मामले दर्ज किए गए हैं और ई-भुगतान प्रणाली ने 1,404 करोड़ रुपये की न्यायालय-फीस और 75 करोड़ रुपये के जुर्माने का लेनदेन किया है ।

(vi) एनजेडीजी देश भर के न्यायालयों के मामले डेटा, आँकड़ों तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करता है और मामलों की पहचान करने, प्रबंधन करने और लंबन को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करने वाले एक बेहतर डैशबोर्ड के साथ उसे अद्यतन किया गया है ।

(vii) सीआईएस 4.0 को सभी न्यायालयों में लागू किया गया है, जिसमें बढ़ी हुई उपयोगिता, गोपनीयता सुरक्षा उपाय और एनजेडीजी, ई-फाइलिंग, वर्चुअल न्यायालय और आईसीजेएस जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण शामिल है ।

(viii) एस3 डब्ल्यूएएस प्लेटफॉर्म 730 जिला न्यायालय वेबसाइटों को होस्ट करता है, जो सुरक्षित और सुलभ वेब अवसंरचना को सुनिश्चित करता है ।

(ix) रियल-टाइम डिजिटल सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है, एसएमएस पुश एंड पुल (प्रतिदिन 4 लाख से अधिक एसएमएस भेजे गए), ईमेल (प्रतिदिन 6 लाख से अधिक भेजे गए) और

बहुभाषी ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट) के माध्यम से मामलों की अद्यतन जानकारियां वकीलों और वादकारियों को भेजी जा रही हैं ।

(x) ई-न्यायालय सर्विसेज मोबाइल ऐप (3.59 करोड़ डाउनलोड) वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, कारण सूची आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है ।

(xi) जस्टआईएस ऐप (22,133 डाउनलोड) न्यायाधीशों के लिए एक प्रबंधन उपकरण है जो उन्हें अपने न्यायिक कार्य को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने और निगरानी करने में सहायता करता है ।

(xii) सभी उच्च न्यायालयों में 48 ई-सेवा केंद्र और जिला न्यायालयों में 2,396 ई-सेवा केंद्र कार्यरत हैं ।

(xiii) नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस (एनएसटीईपी) प्रणाली के अधीन, न्यायालयों ने 7.29 करोड़ ई-आदेशिकाओं को प्रक्रियागत किया है ।

(xiv) डिजिटल न्यायालय 2.1 कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) का उपयोग करके अनुवाद और प्रतिलेखन की सुविधा के साथ पेपरलेस न्यायालयों के लिए एक अनुकूलित अनुप्रयोग है । यह न्यायाधीशों को सभी मामले से संबंधित दस्तावेजों, अभिवचनों और साक्ष्यों को डिजिटल रूप से अभिगमन करने में सक्षम बनाता है।

**(ख) :** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ई-न्यायालय परियोजना के अधीन डिजिटल अवसंरचना का विस्तार पूरे देश में 22,774 न्यायालयों में किया गया है, जिसमें तेलंगाना राज्य के 580 न्यायालय भी शामिल हैं ।

तेलंगाना राज्य में, ई-न्यायालय परियोजना तेलंगाना उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही है । ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के अधीन, तेलंगाना के न्यायालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर और डिजिटल अवसंरचना, जिसमें सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण, हार्डवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल हैं, के प्रावधान के लिए निधियां आवंटित की गई हैं ।

ई-न्यायालय परियोजना के अधीन पहलों ने तेलंगाना राज्य सहित पूरे देश में न्याय वितरण प्रणाली में सभी हितधारकों के लिए दक्षता में सुधार किया है । वादकारियों को मामलों की वर्चुअल सुनवाई, मामले की जानकारी तक ऑनलाइन पहुंच, न्यायालय के आदेशों की ऑनलाइन उपलब्धता और मामले की प्रगति की ऑनलाइन ट्रैकिंग से लाभ हुआ है । वकीलों को हाइब्रिड न्यायालय सुनवाई से लाभ हुआ है जिससे वर्चुअल उपस्थिति, मामलों की सुविधाजनक ई-फाइलिंग, केस बंडलों तक ऑनलाइन पहुंच और स्वचालित अधिसूचनाओं के साथ डिजिटल वाद सूची सक्षम हुई है । न्यायिक अधिकारियों को जस्टआईएस जैसे एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल केस फ्लो प्रबंधन, डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड तक पहुंच और जेलों और दूरस्थ स्थानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एकीकरण से लाभ हुआ है ।

**(ग) :** भारत सरकार 1993-94 से अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) लागू कर रही है । इस स्कीम के माध्यम से, भारत सरकार राज्य सरकारों के संसाधनों को पूरा करती है, जिनकी न्यायिक अवसंरचना के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है । स्कीम के अधीन पांच घटक शामिल हैं, अर्थात, न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयां, वकीलों के हॉल, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और शौचालय परिसर । राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**(घ) :** ई-न्यायालय परियोजना के अधीन हस्तक्षेपों ने केस प्रबंधन, ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई, लंबितता और निपटान की वास्तविक समय निगरानी, आदेशिकाओं की त्वरित तामील की सुविधा में सुधार करके न्याय वितरण प्रणाली में दक्षता बढ़ाई है । डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिटिक्स और इंटरऑपरेबल सिस्टम को अपनाने से न्यायिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, विवादों का तेजी से समाधान और वादकारियों के लिए न्याय तक बेहतर पहुंच में योगदान प्राप्त हो रहा है ।

ई-न्यायालय परियोजना के अधीन सृजित सुविधाओं का 2014 और 2025 के बीच न्यायिक प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिसमें देश के न्यायालयों द्वारा मामलों के वार्षिक संस्थापन में 169% की वृद्धि (0.98 करोड़ से 2.64 करोड़ तक) और वार्षिक मामले निपटारे में 207% की वृद्धि (0.81 करोड़ से 2.49 करोड़ तक) हुई है ।

*********